



भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India

सहायक महाप्रबंधक/Assistant General Manager
उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय/ Northern Regional Office
निवेशक शिकायतों का प्रभाग/ Division of Investor Complaints

SEBI/NRO/NRO/NRO/OW/NIFM/HN/2024/ 1963/1-4
January 12, 2024

NIFM Equity and Commodity Research, Plot No.-4, Block C, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058.	Shri Ritesh Singh Pundir C 901, New Jyoti Apartment, Plot-27, Sec 4, Dwarka, New Delhi-110075.
Shri Nilesh Singh F-3, New Adarsh Apartment, Dwarka, Plot-22, Sec.-10, New Delhi-110075.	Shri Arvind Kumar WB-99, Ganesh Nagar-II, Shakarur, New Delhi- 110092

विषय/Sub- एनआईएफएम इक्विटी और कमोडिटी रिसर्च और अन्य द्वारा किए गए अपंजीकृत निवेश सलाहकार गतिविधियों के मामले में सुनवाई की सूचना/ Notice of hearing in the matter of in the matter of unregistered investment advisor activities carried out by NIFM equity and commodity research and others

- कृपया आपको दिए गए उपरोक्त विषय वस्तु में दिनांक 11 अगस्त, 2022 के कारण बताओ नोटिस का संदर्भ लें, जिसे 14 नवंबर, 2023 के पूरक कारण बताओ नोटिस के साथ पढ़ा गया है।
Please refer to the show cause notice dated August 11, 2022 read with supplementary show cause notice dated November 14, 2023 in the captioned subject matter, served on you.
- उसी के संदर्भ में, मुझे यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि न्याय के हित में, आपको निम्नलिखित के अनुसार सीजीएम (श्री जी रामर) अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण (क्यूजेए) के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया है-
With reference to the same, I am directed to inform that in the interest of justice, you have been granted an opportunity of personal hearing, before the CGM (Mr. G Ramar) Quasi-Judicial Authority (QJA) as per following-

Date: February 09, 2024

Time: 11:30 AM

Venue: SEBI Bhavan II, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai 400051

- कृपया ध्यान दें कि, मामले में कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा।
Please note that, No adjournment would be granted in the matter.

“हम हिन्दी पत्राचार का स्वागत करते हैं।”

उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय : प्लेट-बी, आठवीं मंज़िल, ऑफिस टॉवर-1, एन बी सी सी कॉम्प्लेक्स, पूर्व किदवाई नगर, नई दिल्ली - 110023

Northern Regional Office : Plate-B, 8th Floor, Office Tower-1, NBCC Complex, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 दूरभाष (Phone) : 011 - 69012998

प्रधान कार्यालय : सेबी भवन, प्लॉट सं. सी-4 'अ', जी-ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व) मुंबई - 400051 दूरभाष (Phone) : 022 - 26449000

Head Office : SEBI Bhavan, Plot No. C-4A, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400051 Web. : www.sebi.gov.in



Continuation Sheet

**भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange
Board of India**

4. यदि नोटिस प्राप्तकर्ता उपरोक्त तिथि पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि उनके पास इस मामले में बताने के लिए और कुछ नहीं है और मामले को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा।

In case the Noticees fails to appear before the Competent Authority on the aforesaid date, it shall be presumed that they have nothing further to state in the matter and the matter will be proceeded with on the basis of material available on record.

5. नोटिस प्राप्तकर्ता व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए अधिकृत व्यक्ति नोटिस प्राप्तकर्ता के पैन के साथ-साथ अपने पहचान पत्र और प्राधिकरण पत्र की प्रति प्रदान करें।

Noticees may appear for the hearing personally or through their authorized representative. Please ensure that person(s) authorized to appear for hearing provides copy of their identity Card and the Authorization Letter along with PAN of the Noticee.

6. नोटिस देने वालों को इस नोटिस की प्राप्ति की सूचना देनी होगी और सुनवाई की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले सुनवाई के लिए उपस्थित होने वाले अधिकारी/प्रतिनिधियों के नाम की पुष्टि एक पत्र/ईमेल के माध्यम से करनी होगी।

Noticees are required to acknowledge the receipt of this notice and confirm the name of the official(s) / representative(s) with designation(s) appearing for the hearing at least three days before the hearing date by way of a letter or e-mail.

7. कृपया ध्यान दें कि नोटिसकर्ता, 01 फरवरी 2024 को या उससे पहले ई-मेल - virsaahabs@sebi.gov.in और DeepshikhaL@sebi.gov.in पर पत्र या ई-मेल के माध्यम से सूचना देकर, वेब एक्स का उपयोग करके वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई में शामिल हो सकते हैं।

Please note that Noticees may also attend the hearing through Videoconferencing using Web Ex, under intimation by way of a letter or e-mail at the address – virsaahabs@sebi.gov.in and deepshikhaL@sebi.gov.in on or before February 01, 2024.


दीपशिखा नैय्यर/ Deepshikha Nayyar